

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठारसीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 257/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/
प्रार्थी वनाम विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरीये
तहसीलदार पचपदरा

- 1.छगन पुत्र संतोक
 - 2.दिनेश पुत्र विजयसिंह
 - 3.भूराराम पुत्र धर्मडाराम
 - 4.रमेश पुत्र विजयसिंह
 - 5.लीलादेवी पुत्री सोना
 - 6.वरजू पत्नी विजयसिंह
 - 7.सरजूदेवी पत्नी सोना
- जाति खारोल (खारवाल)
निवासी मंडापुरा, पचपदरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.प्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित।
- 2.विप्रार्थी अनुपस्थित।

आदेश:


दिनांक 07/8/2024

यतः तहसीलदार पचपदरा ने ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1417/452,1421/454,1423/456,1424/457,1427/459 व 1431/461 कुल क्षेत्रफल 0.1643 हैक्टर भूमि प्रस्तावित रकबा वर्षों से मौके पर चलायमान रास्तों को भू अभिलेख में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया गया।

अतः राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60 एवं 86 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं राजस्व सरकार की अधिसूचना क्रमांक:राजस्व (गुप्र-6)/विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक-प.3(2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.5.2016 तथा परिपत्र क्रमांक:प.3(17)राज-06/03 पार्ट जयपुर दिनांक 24.12.2014 एवं परिपत्र क्रमांक:प.3(17)राज-6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के बिन्दू संख्या 4(2) में विहित प्रावधान के अनुपालना में अधोलिखित खसरान के खातेदार को सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता धोषित करने हेतु निम्नानुसार आदेश दिए जाते हैं:-

ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1417/452, 1421/454, 1423/456,1424/457,1427/459 व 1431/461 कुल क्षेत्रफल 0.1643 हैक्टर भूमि राजस्व




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

(गुप्र-6)विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.3(17)राज-6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के बिन्दु संख्या 4(2) में विहित प्रावधान के अनुसरण में संलग्न नक्शानुसार रास्ते में काम आ रही भूमि को सारणी के ख भाग के कॉलम संख्या (07) में अंकित रकबा की भूमि खातेदारी आराजी के स्थान पर सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता धोषित करते हुए तदनुसार भू-अभिलेख में इन्द्राज एवं तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं:-

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि (क)				नवीन रास्ते हुए दर्ज प्रविष्टि (ख)				वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र. सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट.)	किस्म भूमि	
1	711	1417 / 452	0.0253	बा.दोयम	1417 / 452	0.0253		
		1421 / 454	0.0253	बा.दोयम	1421 / 454	0.0253		
		1423 / 456	0.0379	बा.दोयम	1423 / 456	0.0379	गै.मु.	नक्शे में
		1424 / 457	0.0379	बा.दोयम	1424 / 457	0.0379	रास्ता	दर्शितनुसार
		1427 / 459	0.0253	बा.दोयम	1427 / 459	0.0253		
		1431 / 461	0.0126	बा.दोयम	1431 / 461	0.0126		
	योग-	06	0.1643	बा.दोयम	-	0.1643	गै.मु. रास्ता	-

तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है, कि तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित कर मय रिकॉर्ड की प्रति सहित पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।



(Signature)

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 07/8/2024 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(Signature)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा